

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958*

(1958 का अधिनियम संख्यांक 42)

[17 अक्टूबर, 1958]

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना और उसके कार्य करने के लिए हुए अन्तरराष्ट्रीय करार को जहां तक उसका सम्बन्ध उस निगम की प्रास्थिति, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों से है, कार्यान्वित करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “करार” से अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम के नाम से ज्ञात अन्तरराष्ट्रीय निकाय की स्थापना तथा उसके कार्य करने के लिए हुआ करार अभिप्रेत है;

(ख) “निगम” से करार के अधीन स्थापित अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम अभिप्रेत है।

3. निगम को प्रास्थिति और कतिपय उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का तथा उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कतिपय उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रदान किया जाना—(1) किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, करार के वे उपबंध, जो अनुसूची में उपवर्णित हैं, भारत में विधि का बल रखेंगे :

परन्तु करार के अनुच्छेद 6 की धारा 9 में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह—

(क) सीमाशुल्क से मुक्त माल का भारत में आयात करने का हक, वहां उसके पश्चात्पूर्वी विक्रय पर किसी निर्बन्धन के बिना, निगम को देती है; या

(ख) निगम को उन शुल्कों या करों से कोई छूट प्रदान करती है, जो बेचे गए माल की कीमत का भाग है; या

(ग) निगम को उन शुल्कों या करों से कोई छूट प्रदान करती है, जो की गई सेवाओं के प्रभारों के सिवाय वास्तव में कुछ नहीं है।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर अनुसूची का संशोधन किन्हीं ऐसे संशोधनों के अनुरूपतः कर सकेगी, जो करार के उन उपबंधों में, जो अनुसूची में उपवर्णित हैं, सम्यक् रूप से किए और अंगीकृत किए गए हैं :

परन्तु इस उपधारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष तीस दिन की कालावधि के लिए रखी जाएगी और ऐसे उपान्तरों के अधीन होगी, जैसा, जिस सत्र में वह इस प्रकार रखी थी या ठीक पश्चात्पूर्वी सत्र के दौरान संसद् करे।

4. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

* 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा इस अधिनियम का विस्तार पांडिचेरी पर किया गया।

2 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनुसूची

[धारा 3 देखिए]

करार के वे उपबन्ध, जो विधि का बल रखेंगे

* * * * *

अनुच्छेद 3

धारा 1—वित्त कार्य

निगम अपने सदस्यों के राज्यक्षेत्र में उत्पादनकारी प्राइवेट उद्यमों में अपनी निधियों का विनिधान कर सकेगा। ऐसे किसी उद्यम में किसी सरकार के हित का या अन्य लोकहित का विद्यमान होना, उसमें विनिधान करने में अनिवार्य रूप से निगम को, प्रभारित नहीं करेगा।

* * * * *

धारा 5—कतिपय विदेशी मुद्रा विषयक निर्बंधनों का लागू होना

इस अनुच्छेद की धारा 1 के अनुसरण में किसी सदस्य के राज्यक्षेत्र में किए गए निगम के किसी विनिधान की बाबत निगम द्वारा प्राप्त या निगम को संदेय निधियां केवल इस करार के किसी उपबंध के कारण, साधारणतया लागू विदेशी मुद्रा विषयक निर्बंधनों, विनियमों तथा नियंत्रणों से, जो उस सदस्य के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त हैं, मुक्त नहीं होंगी।

* * * * *

अनुच्छेद 6

प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार

धारा 1—अनुच्छेद के प्रयोजन

निगम को, ऐसे कृत्यों को, जो उसे सौंपे गए हैं, पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए इस अनुच्छेद में उपवर्णित प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्रत्येक सदस्य के राज्यक्षेत्र में निगम को दिए जाएंगे।

धारा 2—निगम की प्रास्थिति

निगम को पूर्ण वैधिक व्यक्तित्व और विशिष्टतः,—

- (i) संविदा करने;
- (ii) स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति अर्जित करने तथा उसका व्ययन करने;
- (iii) विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने की पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होगी।

धारा 3—न्यायिक आदेशिका के बारे में निगम की स्थिति

सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में निगम के विरुद्ध कार्रवाई उस सदस्य के राज्यक्षेत्र में ही लाई जा सकेगी, जिसमें निगम का कार्यालय हो, जिसमें निगम ने आदेशिका की तामील या सूचना के प्रतिग्रहणार्थ कोई अभिकर्ता नियुक्त किया हो, या जिसमें निगम ने प्रतिभूतियां पुरोधृत या प्रत्याभूत की हों। तथापि सदस्यों या ऐसी व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, जो सदस्यों के लिए कार्य कर रहे हों या उनसे उन्हें दावा व्युत्पन्न हो रहा हो। निगम की संपत्ति और आस्तियां, चाहे वे जहां भी स्थित हों तथा किसी भी द्वारा धारण की गई हों, निगम के विरुद्ध अंतिम निर्णय के परिदान के पूर्व सब प्रकार के अधिग्रहण, कुर्की या निष्पादन से उन्मुक्त रहेंगी।

धारा 4—अधिग्रहण से आस्तियों की उन्मुक्ति

निगम की सम्पत्ति और आस्तियां, चाहे वे जहां भी स्थित हों और किसी भी द्वारा धारण की गई हों, कार्यपालक या विधायी कार्रवाई द्वारा की जाने वाली तलाशी, अधिग्रहण, अधिहरण, स्वत्वहरण या किसी अन्य प्रकार के अधिग्रहण से उन्मुक्त रहेंगी।

धारा 5—अभिलेखागारों की उन्मुक्ति

निगम के अभिलेखागार अनतिक्रमणीय होंगे।

धारा 6—आस्तियों की निर्बन्धनों से मुक्ति

इस करार के अनुच्छेद 3, धारा 5 के उपबंधों और अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम की सब सम्पत्ति और आस्तियां किसी भी प्रकृति के निर्बन्धनों, विनियमनों, नियंत्रणों और अधिस्थगनों से वहां तक मुक्त रहेंगी जहां तक कि इस करार में उपबंधित कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

धारा 7—संसूचनाओं के लिए विशेषाधिकार

निगम की शासकीय संसूचनाओं के प्रति प्रत्येक सदस्य वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वह अन्य सदस्यों की शासकीय संसूचनाओं के प्रति करता है।

धारा 8—अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार

निगम के सभी गवर्नरों, निदेशकों, अनुकल्पों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों :—

- (i) को अपने द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किए गए कार्यों की बाबत विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति प्राप्त होगी;
- (ii) को, जो स्थानीय राष्ट्रिक नहीं है, आप्रवास संबंधी निर्बन्धनों, अन्य देशीयों के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं और राष्ट्रीय सेवा की बाध्यताओं से वही उन्मुक्तियां और मुद्रा विषयक निर्बन्धनों के संबंध में वही सुविधाएं दी जाएंगी, जो कि सदस्यों द्वारा, अन्य सदस्यों के तुल्य पंक्ति के प्रतिनिधियों, पदाधारियों तथा कर्मचारियों को दी जाती हैं;
- (iii) के प्रति यात्रा सुविधाओं की बाबत वही व्यवहार किया जाएगा जो कि सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों के तुल्य पंक्ति के प्रतिनिधियों, पदाधारियों तथा कर्मचारियों के प्रति किया जाता है।

धारा 9—कराधान से उन्मुक्तियां

(क) निगम, उसकी आस्तियां, सम्पत्ति, आय तथा इस करार द्वारा प्राधिकृत उसके कार्य तथा संव्यवहार सभी कराधान से तथा सभी सीमाशुल्कों से उन्मुक्त होंगे। निगम किसी भी कर या शुल्क के संग्रहण या संदाय के दायित्व से भी उन्मुक्त होगा।

(ख) निगम के निदेशकों, अनुकल्पों, पदाधारियों या कर्मचारियों से, जो स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजाजन या स्थानीय राष्ट्रिक नहीं है, निगम द्वारा दिए गए वेतन तथा परिलब्धियों पर या उनकी बाबत कोई भी कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा :—

(ग) निगम द्वारा पुरोधृत किसी बाध्यता या प्रतिभूति पर (जिसके अन्तर्गत उस पर का लाभांश या ब्याज भी है) चाहे वह बाध्यता या प्रतिभूति किसी के भी द्वारा धारण की गई हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा :—

(i) जो ऐसी बाध्यता या प्रतिभूति के विरुद्ध केवल इस कारण विभेद करता हो कि वह निगम द्वारा पुरोधृत की गई है; या

(ii) यदि ऐसे कराधान के लिए अधिकारिता विषयक एकमात्र आधार पर स्थान या ऐसी करेंसी है, जिसमें वह पुरोधृत, संदेय या संदत्त किया गया है या निगम द्वारा बनाए गए कार्यालय या उसके कारबार के स्थान की अवस्थिति है।

(घ) निगम द्वारा प्रत्याभूत किसी बाध्यता या प्रतिभूति पर (जिसके अन्तर्गत उस पर का कोई लाभांश या ब्याज भी है) चाहे वह बाध्यता या प्रतिभूति किसी के भी द्वारा धारण की गई हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा :—

(i) जो ऐसी बाध्यता या प्रतिभूति के विरुद्ध केवल इस कारण विभेद करता हो कि वह निगम द्वारा प्रत्याभूत की गई है; या

(ii) यदि ऐसे कराधान के लिए अधिकारिता विषयक एकमात्र आधार निगम द्वारा बनाए गए कार्यालय या उसके कारबार के स्थान पर अवस्थिति है।

* * * * *

धारा 11—अधित्यजन

निगम, इस अनुच्छेद के अधीन प्रदत्त किन्हीं विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों में से किसी का, ऐसे विस्तार तक तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा वह अवधारित करे, स्वविवेकानुसार अधित्यजन कर सकेगा।